27/1/2020 पत्रावली पेश हुई। वादी
अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण की
ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण

Manju

P.T.O.

Scanned by CamScanner

वर्ष 2017 से प्रतिवादी संख्या-3 के वारिसान की नाम कायमी हेतु लम्बित है। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या-3 की मृत्यु के उपरान्त लगभग 2 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद वारिसान की नाम कायमी हेतु कोई कार्यवाही नही की गई। न्यायालय द्वारा नाम कायमी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। दिनांक 20-1-2020 को अन्तिम अवसर भी दिया गया किन्तु वादी द्वारा नाम कायमी नही करवायी गई। आज भी वादी द्वारा नाम कायमी हेतु अवसर चाहा गया है। जबकि किसी भी पक्षकार की मृत्यु होने पर 6 माह मे नाम कायमी करानी आवश्यक है।

अतः प्रकरण मे मृतक पक्षकार प्रतिवादी संख्या-3 के वारिसान की नाम कायमी के अभाव में दावा अबेट हो जाने से स्वतः खारिज हो चुका है। अतः प्रकरण अबेट हो जाने से कार्यवाही इसी स्तर पर बन्द की ~~जाकर~~। जाकर प्रकरण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नियम से जमा हो।

Manju
(डॉ॰ मंजु I.A.S.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.25 14:12:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: